न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 65 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

1. कुका पिता वेणा गमेती, निवासी सवीना खेड़ा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुनील उर्फ हेमराज पिता वेला जी गमेती, निवासी डामरों का फलां, सेक्टर नंबर 14, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
3. तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
24–12–2012 प्रकरण सं0 200 / 2007

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री चन्द्रशेखर आमेटा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 26–09–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री वेणा पिता खुमा जी गमेती के नाम राजस्व ग्राम सवीना खेड़ा, तहसील गिर्वा में साबिक आराजी नंबर 531 / 27 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि खातेदारी हक से दर्ज थी। सेटलमेन्ट के बाद जिसके नये नंबर 967, 968, 969, 970 कुल किता 4 रकबा 0.6000 हैक्टर संवत् 2042 में दर्ज की गयी। वादीगण अपने पूर्वाधिकारी के समय से काबिज चले आ रहे हैं। साबिक आराजी नंबर 531 / 27 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा की मैट्रिक गणना अनुसार रकबा 0.7022 हैक्टर बनते हैं, जबकि वादीगण के खातेदारी में 0.6000 हैक्टर ही दर्ज की गयी है, जो 0.1022 हैक्टर कम दर्ज हुई है। वादीगण का कमी रकबा आराजी नंबर 965 में मिला दिया गया है। अतः वादी को आराजी नंबर 965 में से 0.1022

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 3 तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 24–12–2012 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–06–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें नहीं थी। दिनांक 02–06–2018 को रेस्पोन्डेन्ट के कर्मचारी मौके पर आये और कहा कि जमीन नगर विकास प्रन्यास की है, तब उक्त प्रकरण की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2012 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 02–06–2018 को प्रस्तुत की गयी है, जो 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसलिए जो कारण उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह कारण न तो उचित प्रतीत होता है, न ही इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन कराने हेतु कोई पर्याप्त कारण है। अपीलान्ट ने 5 वर्षो तक अपने प्रकरण की जानकारी क्यों नहीं की, इसका कोई कारण नहीं बताया है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि पूर्व में इसी आराजी एवं इसी निर्णय व प्रकरण संख्या 200/2007 के विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा अपील संख्या 30/2013 प्रस्तुत की गयी थी, जो दिनांक 01–03–2016 को इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है, जिसका कोई उल्लेख उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कमी रकबे के बारे में सेटलमेन्ट विभाग से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की। अपीलान्ट/वादीगण ने तनकी नंबर 1 व 2 को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं मन माफिक तरीके से निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री क निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/वादीगण का कमी रकबा आराजी नंबर 965 में गया हो इसके अपीलान्ट साबित कराने में असफल रहा है, जबकि वर्तमान में यह भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के खातेदारी में दर्ज है। पूर्व में भी इसी आराजी बाबत् प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा द्वारा तनकीवार विवेचन करते हुए खारिज की जा चुकी है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने भी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपना निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2012 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

कुका पिता वेणा गमेती, निवासी सवीना खेड़ा, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**65 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**24**.....माह.....**12**.....**2012**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**26**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री चन्द्रशेखर आमेटा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**26**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:31 IST
Reason: SelfAttested